न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 26 / 2022 तारीख रजू:– 21.02.2022

पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह

R.A.S.

नरेन्द्र पुत्र सुरेन्द्र जाति जाट निवासी शेरपुर तहसील सूरौठ हाल निवासी काचरौली, नाबालिग जरिये संरक्षिका मॉ सीमा पत्नि सुरेन्द्र जाति जाट हाल निवासी काचरौली तहसील हिण्डौन जिला करौली ———— सायल

बनाम

1. लक्ष्मण प्रसाद पुत्र देवीराम
2. वीरादेवी पत्नि लक्ष्मण प्रसाद
3. सुरेन्द्र पुत्र लक्ष्मण प्रसाद

जाति जाट निवासी शेरपुर तहसील सूरौठ जिला करौली

4. तहसीलदार / सब रजिस्ट्रार सूरौठ जिला करौली ———— गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट सायल
2. श्री एस.एल. चौधरी एडवोकेट गैरसायल सं01ता 3

निर्णय

दिनांक :– 15-7-22

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि सायल ने उपरोक्त उनवानी दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय हाजा में पेश कर दिया है, सायल का दावा काफी सुदृढ है, सायल को दावे में सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि गैरसायल सं01 सायल का बाबा है तथा गैरसायल सं02 सायल की दादी है, गैरसायल सं03 सायल का पिता है तथा सायल के जन्म के पश्चात ही अपने ननिहाल में अपनी मॉ के संरक्षण में गांव काचरौली में निवास कर रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि गैरसायल सं01 की खातेदारी भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 450 रकबा 0.35 है0, 358 रकबा 0.22 है0 व गैरसायल सं01 व 2 की खातेदारी की भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 601 रकबा 0.15 है0, 602 रकबा 0.38 है0 व गैरसायल सं01 की 1/2 हिस्सो की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 591 रकबा 0.08 है0, व गैरसायल नं01 की भूमि खसरा नम्बर 603 रकबा 0.74 है0 में 25/37 हिस्सा वाके ग्राम हाडौली तहसील सूरौठ में स्थित है तथा गैरसायल सं01 व 2 सायल के बाबा दादी होने के कारण व संयुक्त परिवार के सदस्य होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत सायल का उक्त आराजी में बाई बर्थ (जन्म से ही) अधिकार निहित है, जिसे प्राप्त करने का सायल को पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि गैरसायल नं03 सायल का पिता है तथा गैरसायल नं03 ने सायल की मॉ को सायल का जन्म होने के पश्चात ही मारपीट करके घर से भगा दिया, तभी से ही सायल अपनी मॉ के साथ अपने ननिहाल में रह रहा है तथा सायल के पिता ने दूसरी शादी कर ली है तथा उसके एक बच्चा भी पैदा हो गया है तथा सायल के ननिहाल पक्ष ने गैरसायल नं0 3 को काफी समझाने के पश्चात भी वह सायल की मॉ को बतौर पत्नि रखने को तैयार नहीं है तथा सायल की मॉ एक संस्कारवार परिवार में जन्म लेने के कारण सायल की मॉ ने गैरसायलान के खिलाफ किसी तरह का कोई दहेज, मारपीट का मुकदमा आज तक नहीं किया तथा इसका नाजायज फायदा उठाकर गैरसायलान के हौंसले बुलन्द हो रहे हैं तथा सायल को अपनी पैतृक आराजीयात से बंचित करने को उतारू हो रहे हैं, जबकि सायल को अपने हिस्से की पैतृक आराजींयात से बंचित करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 11.02.2022 सुबह 10 बजे का है कि सायल के मामा लखनसिंह ने गांव शेरपुर जाकर गैरसायलान से कहा कि सायल व सायल की मॉ को रहते हुए हमारे यहॉ करीबन 11 साल हो गये हैं तथा तुमने आज तक इनकी सुध नहीं ली , न ही आप बच्चे की शिक्षा–दीक्षा पर ध्यान दे रहे हो, तथा इनका सारा खर्चा हम वहन कर रहे हैं,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

या तो आप इनको आपके यहाँ रखो या इनके हिस्से की जमीन व रहने के लिए इनको जगह दो। तब गैरसायलान एकदम नाराज हो गये तथा सायल व सायल के मामा लखनसिंह से गाली गलौंच करने लग गये तथा कहा कि यहाँ से चले जाओ, न तो हम इसको जमीन देंगे न ही हम सीमा को बतौर पत्नि रखेंगे तथा हमने गैरसायल सं03 की दूसरी शादी कर ली है तथा हम उक्त जमीन को विक्रय करके कहीं बाहर जाकर बसेंगे तथा तुम्हें कोई हिस्सा नहीं देंगे। तब सायल ने व सायल के मामा ने गैरसायलान से स्पष्ट कहा कि हम इसे कोई जमीन नहीं देंगे, तुम्हें करनरा हो सो कर लो, इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि गैरसायल नं01 व 2 ने उक्त आराजीयात को रहन वय करके किसी अन्य जगह पर जाकर निवास करने लग गये तो सायल को अपनी पैतृक सम्पत्ति से बंचित होना पडेगा तथा सायल व सायल की माँ भूखी मर जावेगी, पक्षकारान में मुकदमाबाजी बढेगी, जिसकी पूर्ति दृव्य में भी सम्भव नहीं है, इसलिए गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन न्याय संगत है। गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायल के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा इस प्रकार पाबन्द किया जावे कि गैरसायल सं01 की खातेदारी भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 450 रकबा 0.35 है0, 358 रकबा 0.22 है0 व गैरसायल सं01 व 2 की खातेदारी की भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 601 रकबा 0.15 है0, 602 रकबा 0.38 है0 व गैरसायल सं01 की 1/2 हिस्से की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 591 रकबा 0.08 है0, व गैरसायल नं01 की भूमि खसरा नम्बर 603 रकबा 0.74 है0 में 25/37 हिस्सा वाके ग्राम हाडौली तहसील सूरौठ जो कि सायल की पैतृक आराजीयात है जिसमें सायल का बाई बर्थ (जन्म से ही) अधिकार निहित है, को किसी दीगर

खण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

स्थिति को रहन,बय नहीं करें, सायल के कब्जे काश्त में न तो बाधा मजाहमत स्वंय पैदा करें, ना ही किसी अन्य से करावें, सायल को बेदखल नहीं करें, सायल को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवें। ऐसा कोई कृत्य नहीं करें, जिससे सायल के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे। गैरसायल सं04 को भी पावन्द फरमाया जावे कि वह दौराने दावा वादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में प्रस्तुत किसी भी अन्तरण दस्तावेज को तस्दीक नहीं करें। गैरसायलान वादगस्त आराजीयात के बावत् रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायल सं04 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। गैरसायलान बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं01 में बिना किसी अधिकार के गलत दावा पेश करना स्वीकार है, दावे में सफलता मिलने की कोई भी सम्भावना नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं02 मे दर्ज इबारत आंशिक रूप से स्वीकार है। सायल अभी अबोध बच्चा है, जिसको उसकी मॉ सीमा ने नाजायज रूप से बहका रखा है व गैरसायलान को उससे नहीं मिलने देती है, जबकि गैरसायलान, सायल को अपने पास रखने के लिए तैयार है। इस बाबत् गैरसायलान द्वारा सामाजिक व कानूनी कई बार प्रयास भी किये लेकिन सायल की मॉ गैरसायलान के साथ रहना नहीं चाहती है। विशेष विवरण उज्रात मजीद में दर्ज है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं03 आंशिक रूप से स्वीकार है। उक्त मद में दर्ज आराजीयात स्थित होना स्वीकार है लेकिन सायल का बाई वर्थ अधिकार निहित होना स्वीकार नहीं है। उक्त मद में दर्ज आराजीयात को गैरसायल नं01 व 2 द्वारा अपने जीवन काल में अपनी मेहनत से खरीद किया गया है अर्थार गैरसायलान की स्वअर्जित आराजीयात है। जिसमें गैरसायलान के जीवित रहते सायल का कोई अधिकार

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

कोई प्रकार का उत्पन्न नहीं होता है। आराजीयात स्वअर्जित है, विरासत की नहीं, विशेष विवरण उज्रात मजीद में दर्ज है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं04 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। गैरसायल सं03 द्वारा सायल की मॉ का कोई परित्याग भी नहीं कर रखा है व ना ही गैरसायल सं03 द्वारा दूसरी शादी ही की गई है, सारी बातें मनगढन्त रूप से झूंठी दर्ज की गई है, सही बात तो यह है कि सायल की मॉ सीमा प्रार्थी/ गैरसायल सं03 के साथ अपनी ससुराल में रहना ही नहीं चाहती है जबकि गैरसायल सं03 द्वारा काफी प्रयास व कानूनी कार्यवाही करने के बावजूद भी सायल की मॉ गैरसायलान के साथ अपनी ससुराल में रहना ही नहीं चाहती है और ना ही गैरसायलान को सायल से मिलने देती है व अपनी मर्जी से स्वच्छन्द जीवन जीने के लिए गैरसायलान का जीवन बर्बाद करने पर तुली हुई है। प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित आराजीयात पैतृक सम्पत्ति नहीं है बल्कि गैरसायलान द्वारा अपने जीवन काल में अपनी मेंहनत से खरीद की गई है, स्वअर्जित सम्पत्ति है, जिसमें सायल का कोई कानूनी अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। विशेष विवरण उज्रात मजीद में दर्ज है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं05 स्वीकार नहीं है। दिनांक 11.02.2022 को गैरसायलान के पास कोई भी नहीं आया, सारी कहानी मनगढन्त होने के कारण झूंठी दर्ज करवायी गई हैं। सही बात तो यह है कि सायल की मॉ सीमा ने प्रार्थी गैरसायलान के जीवन को नरकीय बना रखा है। काफी प्रयास व कानूनी कार्यवाही करने के बावजूद सायल की मॉ सीमा प्रार्थी गैरसायलान के साथ गांव शेरपुर में रहना ही नहीं चाहती है और ना ही सायल को गैरसायलान के पास रहने देती है। जानबूझकर सायल के भविष्य को खराब करने पर तुली हुई है। सायल की मॉ स्वछन्द विचारों की महिला है, जिसको अपने व अपने सास, ससुर व पति गैरसायलान की मान–मर्यादा की कोई फिक्र नहीं है, आये दिन बिना किसी कारण के घूमती रहती है व अनजान व्यक्तियों के सम्पर्क में रहती है, जानबूझकर गैरसायलान के साथ रहना नहीं चाहती है, इसलिए गैरसायलान के सीधेपन का नाजायज फायदा लेने के

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

उद्देश्य से झूंठा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, विशेष विवरण उज्रात मजीद में दर्ज है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं06 स्वीकार नहीं है। क्योंकि प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित आराजीयात पैतृक नहीं है स्वअर्जित सम्पत्ति है, जिसको गैरसायल सं01 व 2 ने अपने जीवन काल में मेहनत करके प्राप्त किया है, जिसको बेचान करने का सम्पूर्ण अधिकार गैरसायल सं01 व 2 को प्राप्त है। यदि गैरसायलान को पाबन्द किया गया तो उनके कानूनी अधिकारों पर कुढाराघात होगा व सायल की मॉ सीमा के गैरकानूनी इरादों को मजबूती मिलेगी।ह

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं07 स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र में दर्ज आराजीयात को गैरसायल नं.1 व 2 ने अपने काल में जरिये रजिस्ट्री खरीद की गई है, विरासत की सम्पत्ति नहीं है और ना ही सायल की ओर से विरासत की सम्पत्ति बाबत् कोई दस्तावेजात प्रार्थना पत्र में पेश किये गये हैं। सायल की मॉ द्वारा जानबूझकर गैरसायलान को तंग व परेशान व गलत इरादों के लिए झूंठा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उज्रात मजीद :– जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 450 रकबा 0.35 है0, 458 रकबा 0.22 है0 को गैरसायल सं01 लक्ष्मण प्रसाद द्वारा दिनांक 22.10.2003 को जरिये रजिस्ट्री शायदअली पुत्र जाफर अली से खरीद किया गया है, इसी प्रकार खसरा नम्बर 601 रकबा 0.15 है0, 602 रकबा 0.38 है0 को गैरसायल सं01 व 2 लक्ष्मण प्रसाद व उसकी पत्नि वीरादेवी द्वारा दिनांक 29.10.2018 व 03.01.2018 को जरिये रजिस्ट्री खरीद किया गया है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 603 के हिस्से को गैरसायल सं01 लक्ष्मण प्रसाद द्वारा दिनांक 24.07.2019 को जरिये रजिस्ट्री खरीद किया गया है अर्थात प्रार्थना पत्र में दर्ज आराजीयात गैरसायलान के कब्जे काश्त व स्वअर्जित सम्पत्ति है, जिसमें उनके जीवनकाल में अन्य किसी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और ना ही सायल को भी प्राप्त होते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र सायल नरेन्द्र की ओर से संरक्षिका के रूप में उसकी माँ रीमा की तरफ से पेश किया गया है, जो गलत है। हिन्दू संरक्षक व वार्डरा एक्ट के मुताबिक जब तक किसी अव्यस्क सन्तान का पिता जीवित है तब तक उसका संरक्षक अन्य कोई नहीं बन सकता है। इस बाबत् कि मैं सायल की संरक्षिका हूँ, कोई दस्तावेजात भी प्रार्थना पत्र के साथ पेश नहीं किया गया है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायल ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071 –74 पेश की है।

इसके विपरीत वकील गैरसायल सं01 ता 3 ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.10.2018 उनवानी आसिफ अली, राशीद अली, शाहिदअली पिसरान जाहिद जातियान मुसलमान निवासीयान हाडौली हाल निवासी काजीपाडा हिण्डौन, लियाकतअली पुत्र हसमत अली जाति मुसलमान निवासी हाडौली तहसील हिण्डौन बहक श्री लक्ष्मण प्रसाद पुत्र देवीराम जाति जाट निवासी शेरपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली, फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.08.2019 उनवानी वाहिद पुत्र अब्दुल गफूर, आसिफ अली, राशीद अली, शाहिदअली पिसरान जाहिद जातियान मुसलमान निवासीयान हाडौली हाल निवासी काजीपाडा हिण्डौन, लियाकतअली पुत्र हसमत अली जाति मुसलमान निवासी हाडौली तहसील हिण्डौन बहक श्री लक्ष्मण प्रसाद पुत्र देवीराम जाति जाट निवासी शेरपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली, फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.08.2018 उनवानी वाहिद पुत्र अब्दुल गफूर जाति मुसलमान निवासी हाडौली हाल निवासी काजीपाडा हिण्डौन, लियाकतअली पुत्र हसमत अली जाति मुसलमान निवासी हाडौली तहसील हिण्डौन बहक श्रीमती वीरादेवी पत्नि लक्ष्मण प्रसाद जाति जाट निवासी शेरपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली पेश की हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायल ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायल का

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायल सं01 ता 3 ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायल की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071 –74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 450 रकबा 0.35 है0, 458 रकबा 0.22 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.57 है0 वाके ग्राम हाडौली तहसील सूरौठ की खातेदारी लक्ष्मणप्रसाद पुत्र देवीराम जाति जाट सा0 शेरपुर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071 –74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 603 रकबा 0.74 है0 वाके ग्राम हाडौली तहसील सूरौठ की खातेदारी लक्ष्मणप्रसाद पुत्र देवीराम हि025/37 जाति जाट सा0 शेरपुर वाहिद पुत्र अब्दुल कफूल हि0 3/37 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, श्यामसिंह पुत्र गंजनसिंह हि0 9/37 जाति जाट निवासी विजयपुरा खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0–2071 –74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 601 रकबा 0.15 है0, 602 रकबा 0.38 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम हाडौली तहसील सूरौठ की खातेदारी लक्ष्मणप्रसाद पुत्र देवीराम हि0 1/2, वीरादेवी पत्नि लक्ष्मणप्रसाद हि01/2 जाति जाट सा0 शेरपुर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071 –74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 591 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम हाडौली तहसील सूरौठ की खातेदारी लक्ष्मणप्रसाद पुत्र देवीराम हिस्सा 1/2, मुकेश पुत्र दुलीचन्द हि01/2 जाति जाट सा0 शेरपुर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

गैरसायल सं01 ता 3 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.10.2018 उनवानी आसिफ अली, राशीद अली, शाहिदअली पिसरान जाहिद जातियान मुसलमान निवासीयान हाडौली हाल निवासी

खण्डखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

काजीपाडा हिण्डौन, लियाकतअली पुत्र हसमत अली जाति मुसलमान निवासी हाडौली तहसील हिण्डौन–विकेतागण बहक श्री लक्ष्मण प्रसाद पुत्र देवीराम जाति जाट निवासी शेरपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली – केता, के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 601 रकबा 0.15 है0, 602 रकबा 0.38 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.53 है0वाके ग्राम हाडौली तहसील सूरौठ में निहित अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 एवं खसरा नम्बर 591 रकबा 0.08 है0 ग्राम हाडौली तहसील सूरौठ में विकेतां नं04 ने अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 भाग की भूमि को बेचान किया गया है तथा कब्जा वाकई मौके पर संभलाना भी अंकित किया है।

फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.08.2019 उनवानी वाहिद पुत्र अब्दुल गफूर, आसिफ अली, राशीद अली, शाहिदअली पिसरान जाहिद जातियान मुसलमान निवासीयान हाडौली हाल निवासी काजीपाडा हिण्डौन, लियाकतअली पुत्र हसमत अली जाति मुसलमान निवासी हाडौली तहसील हिण्डौन – विकेतागण बहक श्री लक्ष्मण प्रसाद पुत्र देवीराम जाति जाट निवासी शेरपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली केता, के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 603 रकबा 0.74 है0 किस्म चाही–1 स्थित ग्राम हाडौली तहसील हिण्डौन में विकेतागण के सम्पूर्ण हिस्सा 25/37 भाग की भूमि को केता लक्ष्मणप्रसाद के हक में विक्रय किया गया है तथा कब्जा मौके पर संभलाना भी अंकित किया है।

फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.08.2018 उनवानी वाहिद पुत्र अब्दुल गफूर जाति मुसलमान निवासी हाडौली हाल निवासी काजीपाडा हिण्डौन, लियाकतअली पुत्र हसमत अली जाति मुसलमान निवासी हाडौली तहसील हिण्डौन– विकेतागण बहक श्रीमती वीरादेवी पत्नि लक्ष्मण प्रसाद जाति जाट निवासी शेरपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली केता– के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 601 रकबा 0.15 है0, 602 रकबा 0.38 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.53 है0वाके ग्राम हाडौली तहसील सूरौठ में निहित अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 भाग की भूमि को बेचान किया गया है तथा कब्जा वाकई मौके पर संभलाना भी अंकित किया है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 450 रकबा 0.35 है0, 458 रकबा 0.22 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.57 है0 वाके ग्राम हाडौली तहसील सूरौठ का गैरसायल सं01 खातेदार काश्तकार है तथा खसरा नम्बर 603 रकबा 0.74 है0 वाके ग्राम हाडौली तहसील सूरौठ का गैरसायल सं01 लक्ष्मणप्रसाद पुत्र देवीराम हि025/37 जाति जाट सा0 शेरपुर खातेदार काश्तकार हैं तथा खसरा नम्बर 601 रकबा 0.15 है0, 602 रकबा 0.38 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम हाडौली तहसील सूरौठ का गैरसायल सं01 लक्ष्मणप्रसाद पुत्र देवीराम हि0 1/2, गैरसायल सं02 वीरादेवी पत्नि लक्ष्मणप्रसाद हि01/2 के खातेदार काश्तकार है तथा खसरा नम्बर 591 रकबा 0.08 है0वाके ग्राम हाडौली तहसील सूरौठ का गैरसायल सं01 लक्ष्मणप्रसाद पुत्र देवीराम हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 601, 602, 603, 591 वाके ग्राम हाडौली में मुताविक राजस्व रिकार्ड एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर स्वअर्जित आराजीयात गैरसायल सं01 व 2 की साबित है तथा विवादित आराजी खसरा नम्बर 450 व 458 ग्राम हाडौली तहसील सूरौठ गैरसायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। उक्त विवादित आरांजीयात गैरसायल सं01 की पैत्रिक आराज़ीयात हो इस बाबत् सायल ने कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है। गैरसायल सं01 व 2 अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति को किसी भी व्यक्ति को रहन विक्रय करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र हैं। उक्त विवादित आराजीयात पैत्रिक सम्पत्ति साबित नहीं होने के कारण सायल का उक्त विवादित आराजीयात में सायल को जन्म से ही कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार सायल का प्राईमाफेसी केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू साबित नहीं होता है। बल्कि गैरसायलान के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूतों के आधार पर प्राईमाफेसी केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसे हालात में यदि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द कर दिया गया तो उससे गैरसायलान के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। जबकि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किये जाने

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

पर सायल को कोई क्षति किसी प्रकार की होने की कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 450 रकबा 0.35 है0, 458 रकबा 0.22 है0, 591 रकबा 0.08 है0, 601 रकबा 0.15 है0, 602 रकबा 0.38 है0, 603 रकबा 0.74 है0, वाके ग्राम हाडौली तहसील सूरौठ खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 21.02.2022 को विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 450 रकबा 0.35 है0, 458 रकबा 0.22 है0, 591 रकबा 0.08 है0, 601 रकबा 0.15 है0, 602 रकबा 0.38 है0, 603 रकबा 0.74 है0 वाके ग्राम हाडौली तहसील सूरौठ के बाबत जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश विद्ड्रो किये जाते हैं। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक ...14-7-22... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी करौली